

**पूर्व मध्य रेल/EAST CENTRAL RAILWAY**  
**प्लान्ट डिपो/PLANT DEPOT**  
पं० दीन दयाल उपाध्याय/Pt.Deen Dayal Upadhyaya

का०आ०सं०-०५/ई

दिनांक-06.01.2021

श्री शंकर हेल्पर/टीएमसी टि० सं०-टी/६१ जिनका विभिन्न तिथियों में अवैतनिक अवकाश पर रहने के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि का० आ० सं०-७०/ई दिनांक-३०.०४.२०२० के द्वारा पीछे किया गया था। उक्त का० आ० में श्री शंकर को दिए गए दंड के दौरान पदोन्नति दे दी गई थी, जिसे सुधार करते हुए दंड समाप्त होने के बाद उनकी पदोन्नति प्रभावी मानकर उनके वेतन का पुनः निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है।

अवधि	वेतन जो दिया गया	वेतन जो होना चाहिए
दिनांक-०१.०७.२००८ से ३०.०६.२००९ के बीच अवैतनिक अवकाश कुल २५ दिन	०१.०७.०९ रु ६१४०+१८००=रु७९४० /-(वास्तविक) ०१.०७.०९ रु ६३८०+१८००=रु८१८० /-(काल्पनिक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०९ दिनांक-२२.०४.२००९/२९.०६.२००९ के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए बंद किया गया है।)	०१.०७.०९ रु ७४३०+१८००=रु ७३४० /-(वास्तविक)  (दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०२ दिनांक-१७/१९.०१.२००५ के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से वर्ष-२००७ २००८ एवं २००९ का बंद किया गया है।)
दिनांक-०१.०७.०९ से ३०.०६.१० के बीच अवैतनिक अवकाश ८६ दिन	०१.०७.१० रु ६३८०+१८००=रु८१८० /-(वास्तविक) ०१.०७.११ रु ६६३०+१८००=रु८४३० /-(काल्पनिक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०९ दिनांक-०२.१२.२००९/१४.०१.१० के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से दो वर्ष के लिए बंद किया गया है।)	०१.०७.१० रु ५५४०+१८००=७३४० /-(वास्तविक) ०१.०७.१० रु ५७६०+१८००=रु७५६० /-(काल्पनिक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०९ दिनांक-२२.०४.२००९/२९.०६.२००९ के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए बंद किया गया है।)
दिनांक-०१.०७.१० से ३०.०६.११ के बीच अवैतनिक अवकाश निल	०१.०७.११ रु ६३८०+१८००=रु८१८० /-(वास्तविक) ०१.०७.११ रु ६८९०+१८००=रु८६९० /-(काल्पनिक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०९ दिनांक-०२.१२.२००९/१४.०१.१० के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से दो वर्ष के लिए बंद किया गया है।)	०१.०७.११ रु ५७६०+१८००=७५६० /-(वास्तविक) ०१.०७.११ रु ५९९०+१८००=रु ७७९० /-(काल्पनिक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०९ दिनांक-०२.१२.२००९/१४.०१.१० के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से दो वर्ष के लिए बंद किया गया है।)
दिनांक-०१.०७.११ से ३०.०६.१२ के बीच अवैतनिक अवकाश १०४ दिन	०१.०७.१२ रु ६८९०+१८००=रु८६९० /-(वास्तविक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/३ए/शंकर/०३	०१.०७.१२ रु ५७६०+१८००=रु ७५६० /-(वास्तविक) ०१.०७.१२ रु

*Shankar 01/1/2021*



	दिनांक-02.09.2005/09.05.11 के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तीनवर्ष के लिए बंद किया गया है।)	6220+1800=8020 /--(काल्पनिक) (दंड आदेश सं0-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक-02.12.2009/14.01.10के द्वारा इनका दो वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद किया गया है।)
दिनांक-01.07.13 से 30.06.13 के बीच अवैतनिक अवकाश निल	01.07.13 रू 6890+1800=रू8690 /--(वास्तविक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/3ए/शंकर/03 दिनांक-02.09.2005/09.05.11 के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तीन वर्ष के लिए बंद किया गया है।)	01.07.13 रू 6220+1800=रू8020 /--(वास्तविक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/3ए/शंकर/03 दिनांक-02.09.2005/09.05.11 के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तीन वर्ष के लिए बंद किया गया है।)
दिनांक-01.07.13 से 30.06.14 के बीच अवैतनिक अवकाश 132 दिन	01.07.14 रू 6890+1800=रू8690 /--(वास्तविक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/3ए/शंकर/03 दिनांक-02.09.2005/09.05.11 के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तीन वर्ष के लिए बंद किया गया है।)	01.07.14 रू 6220+1800=रू8020 /--(वास्तविक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/3ए/शंकर/03 दिनांक-02.09.2005/09.05.11 के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तीन वर्ष के लिए बंद किया गया है।)
	01.07.15 रू 7150+1800=8950 /--(वास्तविक)	01.07.15 रू 6220+1800=रू8020 /--(वास्तविक) दंड आदेश संख्या-पीडी/ई/3ए/शंकर/03 दिनांक-02.09.2005/09.05.11 के द्वारा इनका वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तीन वर्ष के लिए बंद किया गया है।)

*Shri 6/1/2021*

(दीपक) राज राय

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी  
प्लान्ट डिपो, डीडीयू।

दिनांक-06.01.2021

पत्र सं0-PD0PERS(ESSTT)/24/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. व.स.वि.सलाहकार/पीडी/डीडीयू।
2. सी.से.इंजी.(समन्वय)/टीएमसी/पीडी/डीडीयू।
3. मु.का.अधी./स्था./पास/बन्दोबस्त/पीडी/डीडीयू।
4. मु.का.अधी./वेतन/पीडी/डीडीयू- इनको कम या अधिक वेतन दिया गया हो तो इसका समायोजन किया जाय।
5. सूचनापट्ट/टीएमसी/पीडी/डीडीयू।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी  
प्लान्ट डिपो, डीडीयू।